FORM NO III APP-A Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

श्रीमती आशादेवी वगैरह बनाम बीलराम नागर पुत्र श्री माधुलाल

रामबाबू अग्रवाल । जाति ब्राह्मण व अन्य

किस्म मुकदमा 223 आर.टी.एक्ट नम्बर 295/2019 सन् 2019 (52)

2019/00295

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
22/8/19	श्री बी.एल. शर्मा एड. श्री यह अपील श्री भैरू लाल शर्मा एड़वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 03.10.2017, वाद संख्या 56/2016 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम प्रार्थी/अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया हैं। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा विवादित आराजी का तकासमा बाई मिटस एण्ड बोण्डस क आधार पर प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा था जिस पर प्रतिवादी संख्या 01. की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. व जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जाकर प्रकरण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 निमय 11 जा.दी. व साक्ष्य, सबूत हेतु नियत किया था किन्तु दिनांक 03.10.2017 को पक्षकारान के मध्य मौके पर काबिज अनुसार तकासमा किये जाने पर सहमति होने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य, सबूत लिये एवं बिना कब्जे के दस्तावेज प्राप्त किये, बिना नक्शें कुरेजात तहसीलदार से प्राप्त किये वाद में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी, जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित नक्शें कुरेजात के अनुरूप जो बंटवारा किया गया उसमें खसरा नम्बर 573/2 रकबा 0.66 है0 एवं प्रतिवादीया के हक में दर्ज कर दिया गया परन्तु लगान की फाटबंधी नहीं की गई। इसी प्रकार खसरा नम्बर 573/1 व 573/3 संयुक्त रूप से रकबा 0.60 है0 दर्ज कर दिया गया जो कि कानून के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरसत किये जाने योग्य है चूँकि खसरा नम्बर 573/1 रकबा 0.04 है0 व खसरा नम्बर 573/3 रकबा 0.56 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 है. बनता है एवं इसी अनुरूप मौके पर तरमीम की जानी चाहिए थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का का अवलोकन किये पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के विपरीत मनमर्जी से अधिक रकबा खसरा नम्बरान को शामिल करते हुए दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में नक्शें कुरेजात प्रस्तुत करना अंकित किया गया है परन्तु वास्तविकता में नक्शें कुरेजात कानूनन वाद प्राथमिक डिक्री होने के पश्चात ही तैयार किये जा सकते थें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना साक्ष्य, सबूत लिये, बिना लगान का बंटवारा किये मनमर्जी	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

295/119/2223 श्रीमती आशा देवी वगैरह बनाम सीताराम वगैरह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/00295	
	श्री ... श्री	

लगातार

से विवेचन कर निर्णय पारित करने कानूनी त्रुटि की है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 03.10.2017 को निरस्त फरमायी जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत बंटवारे हेतु प्रतिप्रेषित की जावें।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री, वाद प्रति, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी., जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम की प्रति एवं समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय ने जो अंतिम डिक्री पारित की है उसमें भी खसरा नम्बर 573/1 व खसरा नम्बर 573/3 दोनो कुल रकबा .060 है0 अंकित किया है जबकि खसरा नम्बर 573/1 रकबा 0.04 है0 व खसरा नम्बर 573/3 रकबा 0.56 है0 कुल रकबा 0.60 है0 बनता है एवं इसी अनुरूप मौके पर तरमीम की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये एवं बिना कुरजात रिपोर्ट प्राप्त किये जो निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की वह त्रुटि होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 03.10.2017, वाद संख्या 56/2016 निरस्त किय जाता हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),दूद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए नये सीरे निर्णय व डिक्री पारित करें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

22/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर